कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 56/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 08.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 08.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट

थाना– देवगांव, जनपद– आजमगढ़

केमिकलयुक्त कृत्रिम दूध बनाते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 200 लीटर कृत्रिम दूध व विभिन्न केमिकल बरामद

दिनांक **07.02.2026** को उ0नि0 सुभाष तिवारी प्रभारी चौकी लालगंज मय पुलिस बल के क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान *काशी डेयरी, मिर्जाआदमपुर* के प्रबंधक **रजनिकान्त मिश्रा पुत्र दिनेशचन्द्र मिश्रा**, निवासी पुण्डरीक का पुरा, थाना पिनहट, जनपद आगरा तथा **अरविन्द शर्मा पुत्र अनिल शर्मा**, निवासी सियाना, थाना सियाना, जनपद बुलन्दशहर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम **सोफीपुर** में **संतोष कुमार**, जो दूध का टैंकर *टाटा-407 गोल्ड* चलाता है और डेयरी में दूध की सप्लाई करता है, अपने मकान मालिक **प्रमोद राय पुत्र रामबचन राय**, निवासी सोफीपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर प्रमोद राय के मकान में केमिकल मिलाकर कृत्रिम दूध बना रहा है।

उक्त सूचना पर उ0नि0 राकेश कुमार सिंह, का0 प्रवीण दुबे, का0 अनिल कुमार यादव तथा खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारीगण—राजीव कुमार सिंह (एफएसओ लालगंज), शीत सिंह (एफएसओ नगर पालिका आजमगढ़), लालमणि यादव (एफएसओ आजमगढ़) एवं अनिल कुमार (खाद्य सहायक अधिकारी) को मौके पर बुलाकर संयुक्त टीम द्वारा दबिश दी गई।

दबिश के दौरान समय लगभग **16.05 बजे** अभियुक्त **संतोष कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह**, निवासी गोविन्दीगढ़ी, थाना सतरौली, जनपद एटा को केमिकलयुक्त कृत्रिम दूध एवं अपमिश्रक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि मकान मालिक **प्रमोद राय पुत्र रामबचन राय** मौके से फरार हो गया।

पूछताछ का विवरण:

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि लालच में आकर वह अपने मकान मालिक प्रमोद राय के साथ मिलकर केमिकल मिलाकर कृत्रिम दूध तैयार करता था। टैंकर से असली दूध निकालकर उसमें कृत्रिम दूध मिलाकर डेयरी में सप्लाई करता था तथा निकाले गए असली दूध को प्रमोद राय स्वयं का बताकर काशी डेयरी, मिर्जाआदमपुर में बेच देता था।

बरामदगी का विवरण:

- कृत्रिम दूध – लगभग **200 लीटर**
- WAY पाउडर व पानी का मिश्रण (अपमिश्रक) – लगभग **100 लीटर**
- केमिकलयुक्त रिफाइंड सोयाबीन तेल – लगभग **40 लीटर**
- RINZEE POLARIZED 900 ml – **02 डब्बे**
- यूरिया – **45 किलोग्राम (01 बोरी)**
- EHTANOL, MITHANOL, SODIUM HYDROXIDE SOLUTION N/10, GLYCERINE, DELSTIPS, GYANCHEM GLUCOSE TEST, PHENOLPHTHALEIN (Milk Testing Agent) – **35 टिन**
- 03 बड़े ड्रम (लगभग 200-200 लीटर)
- 04 VECTUS प्लास्टिक डब्बे (40-40 लीटर)
- 01 छोटा नीला ड्रम (60 लीटर)

• प्लास्टिक बाल्टी (लाल), स्टील की बड़ी टंकी
• नीली पाइप (1.5 इंच)
• दूध निकालने हेतु लोहे का हाथ पम्प

गिरफ्तार अभियुक्तः

संतोष कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी– गोविन्दीगढ़ी, थाना सतरौली, जनपद एटा

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 **54/2026**, धारा **274, 275, 318(1) बीएनएस**, थाना **देवगांव**, जनपद **आजमगढ़**

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीमः

1. उ0नि0 सुभाष तिवारी, प्रभारी चौकी लालगंज, थाना देवगांव
2. उ0नि0 राकेश कुमार सिंह, थाना देवगांव
3. हे0का0 ओमप्रकाश सिंह, थाना देवगांव
4. का0 शैलेन्द्र, थाना देवगांव
5. का0 प्रवीण दुबे, थाना देवगांव
6. का0 अनिल कुमार यादव, थाना देवगांव

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक – 08.02.2026

थाना – रौनापार, जनपद – आजमगढ़

साइबर फ्राड का ₹26,500/- आवेदक को वापस कराया गया

घटना का विवरणः

आवेदक **रामप्रताप सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रधन सिंह**, निवासी **महुला**, थाना **रौनापार**, जनपद **आजमगढ़** के साथ अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी की गई। साइबर अपराधियों ने स्वयं को पुलिसकर्मी बताते हुए फोन कर डराया कि आवेदक अपने मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो देखते हैं, जिसकी मॉनिटरिंग साइबर पुलिस लखनऊ द्वारा की जा रही है तथा फोन हिस्ट्री के आधार पर थाना **रानीबाग, जनपद लखनऊ** में उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही शीघ्र गिरफ्तारी की धमकी दी गई।

अपराधियों द्वारा यह भी कहा गया कि यदि गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो तत्काल धनराशि भेज दें, अन्यथा उनकी फाइल नष्ट नहीं की जाएगी। मान-सम्मान की चिंता में आकर आवेदक द्वारा दिनांक **18.08.2025** को पहले **₹4,500/-** तथा तत्पश्चात **₹22,000/-**, कुल **₹26,500/-** साइबर अपराधियों के खाते में स्थानान्तरित कर दिए गए।

घटना की जानकारी होने पर आवेदक तत्काल थाना **रौनापार** पर उपस्थित हुए, जहां उनकी शिकायत **साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930** पर दर्ज कराई गई तथा **शिकायत संख्या – 3310825xxxxxx** प्राप्त हुई।

बरामदगी/रिफण्ड का विवरणः

शिकायत पंजीकृत होने के उपरान्त **साइबर टीम आजमगढ़** द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए उक्त **₹26,500/-** की धनराशि को फ्रॉडस्टर के **इंडियन ओवरसीज बैंक** खाते में होल्ड कराया गया।

धनराशि होल्ड होने के पश्चात विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय से धनराशि रिलीज करने सम्बन्धी आदेश प्राप्त किया गया, जिसके क्रम में आवेदक की सम्पूर्ण धनराशि **₹26,500/-** उनके खाते में सुरक्षित रूप से वापस करा दी गई।

पुलिस टीम का विवरणः

1. साइबर टीम, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट
दिनांक – 08.02.2026, जनपद आजमगढ़

परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई-किरण के माध्यम से एक परिवार में कराया गया समझौता

डॉ0 अनिल कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 08.02.2026 को थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ परिसर स्थित **परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई-किरण** की बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान कुल **11 पत्रावलियों** में मीडिएशन हेतु दोनों पक्षों को बुलाया गया, जिनमें से **09 प्रकरणों में दोनों पक्ष उपस्थित** हुए। गहन परामर्श एवं अथक प्रयासों के पश्चात **01 प्रकरण में आपसी समझौता** कराया गया, जबकि **01 प्रकरण में पति-पत्नी द्वारा कुशलता प्रकट की गई।**

नई-किरण परियोजना के माध्यम से बिखरे परिवारों को पुनः एक सूत्र में बाँधने का प्रभावी प्रयास किया जा रहा है, जिससे पारिवारिक विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान संभव हो रहा है तथा माननीय पारिवारिक न्यायालयों के कार्यभार में भी कमी आ रही है।

कुल समझौते – 01
समझौता विवरण:
सिमरन पत्नी प्रवीण कुमार, निवासी टिहरी, थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर।